Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministryôs roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of August, 2020

1. The first instalment of untied and tied Grants, as recommended in interim report of Fifteenth Finance Commission (XV FC) has been released to the States. Follow up action were carried with the States to transfer the Grants to the Panchayats and submit Grant Transfer Certificate (GTC). Clarifications were provided to the States regarding Utilization of XV FC untied Grants in various possible works/activities considered as ôlocally felt needsô and items of expenditure not allowed being in ônegative listô.

2. Copies of the final Report of the Study on ñImpact Evaluation of Fourteenth Finance Commission (FFC) Grantsô Utilisation to the Gram Panchayatsò conducted by the Institute of Economic Growth (IEG) were forwarded to the XV Finance Commission and National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR) for their perusal. The final Report of the Study has been circulated to the Statesô Panchayati Raj Departments for information and making use of it.

3. With the assistance of UNICEF, service delivery standards towards Water, Sanitation and Hygiene (WASH) are being drafted towards assisting the Rural Local Bodies to utilize the XV FC Grants for targeted outcomes. A meeting was held on 11th August, 2020 to discuss the drafts of the Service level benchmarks (SLBs) and draft contract documents for outsourcing of WASH services by the Panchayats.

4. Follow up letters have been sent in pursuance of achievement of targets assigned to MoPR in the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan (GKRA), namely, utilization of Unspent FFC/ XV FC Grants and construction of Gram Panchayat Bhawans in Six States. As on 31.8.2020, expenditure of Rs.1686 crore for the activity ôFinance Commission worksô have been made and a total of 804 numbers of Gram Panchayat Bhawans have been constructed for the activity ôConstruction of Gram Panchayat Bhawansô assigned to the Ministry of Panchayati Raj under the Abhiyan.

5. Video Conference meeting was held on 21st August, 2020 with the States towards follow-up on implementation of Audit-Online for audit of annual accounts of Panchayats. During the F.Y. 2020-21, a target has been setup for auditing 20% of the Gram Panchayats.

6. Funds to the tune of Rs.40 Crore were released to Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram and NIRD&PR as per the Annual action plan approved by CEC for the year 2020-21 under the scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyaan (RGSA).

7. Ministry of Women and Child Development (MoWCD) is organising ñPOSHAN Maahò across the country from 1st September, 2020 to 30th September, 2020. In this connection joint advisory of MoPR and MoW&CD has been issued.

8. Inspired by the visibly satisfactory performance of the Gram Panchayats and other stakeholders involved in the Peopleõs Plan Campaigns (PPCs) during the last two year and to provide sustainability to the Gram Panchayat Development Plan (GPDP) formulation process into a participative and transparent exercise, it has been decided to continue the process of GPDP preparation for the financial year 2021-22 again in campaign mode from 2nd October, 2020 to 31st January 2021. The preparatory activities to ensure the successful launch and conduct of the PPC are under way.

9. On 24th April, 2020, celebrated as National Panchayati Raj Day, Honõble Prime Minister addressed Panchayats across the country through live telecast/webcast and congratulated the winners under National Panchayat Awards 2020 with a hope that others will seek inspiration from them. Taking another step further towards providing encouragement to the awardees across the country and sharing their views, Honõble Union Minister of Panchayati Raj, through a Video Conference on 7th August, 2020, interacted with State Panchayati Raj Ministers of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh (awardees under different categories of e-Panchayat Puraskar 2020) and also representatives of nine awardee Panchayats under Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar 2020.

10. The Ministry has sent by post the plaques and certificates to all the 306 awardees under various categories of National Panchayat Awards 2020. These Awards could not be given in person due to the nation-wide lockdown for containment of COVID-19.

11. Against the BE 2020-21 provision of Rs. 47.00 crore under óIncentivization of Panchayatsô Scheme, an expenditure of Rs.39.45 crore approximately (around 83.94% approximately) has been made towards release of award money to States/ UTs and awards related activities. Out of this, during the month of August, 2020 an expenditure of Rs.2.48 crore (approx) has been made.

12. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing the States for closure of account on PRIASoft as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2019-20, 94% of the GPs have closed their month books and 91% of the Gram Panchayats have closed their year books.

13. 1,58,878 Gram Panchayats have on-boarded PRIASoft-PFMS interface, out of which 1,03,957 GPs have carried out online payments through the Online Payment Module (erstwhile PRIASoft-PFMS Interface (PPI)) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission for 2019-20. For the year 2020-21, 1,23,929 GPs have transacted online using the Online Payment Module.

14. SVAMITVA Scheme was launched on 24th April 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method. This would provide the órecord of rightsô to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. In this regard, CORS establishment sites have been selected by government of Punjab and Rajasthan. Also, significant progress is made towards the digital transmission of property cards planned in month of October for selected villages. States have finalized the State Portal for digital property card generation. Regular meetings (through VCs) with States and SoI were also held. Furthermore, drone flying has been completed in 3069 villages; out of which data processing of survey data is completed for 2403 villages and feature extraction for 1690 villages. Various IEC activities have also commenced in States.

15. Further, strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For States to go live on AuditOnline, States are to provide pre-requisites viz. Audit flow, hierarchy data, risk-based categories etc. Information has been received from 23 States. 11 State have started registration of Auditors (1671 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (by 6106 GPs) for Auditing 14th Finance Commission accounts. 2 States viz. Andhra Pradesh and Telangana have also recorded Observations on the application.

16. Local Government Directory (LGD) Application record and maintain up-to-date list of land region and administrative units. Two VCs were held with Union Ministries/ Departments regarding the steps required to make DBT schemes LGD compliant for PMO Dashboard. Also, VCs were held with States to update names of all the locations such as State, District, Villages, RLB, ULB etc. in local language to prepare e-Governance applications multi-lingual, to update rural & urban wards and to resolve the pending discrepancy in LGD application.

17. On the occasion of National Panchayati Raj Day this year (24-4-2020), the Hon'ble PM had launched a unified portal (https://egramswaraj.gov.in) along with Mobile App for effective monitoring and evaluation of the works executed in Panchayats. On 21st August, 2020, the Hon'ble Union Minister of Panchayati Raj has written to the Members of Parliament (MPs) of both the Houses highlighting the use of these applications for monitoring the current status of developmental works in their constituencies."

18. Various IEC activities were taken up during the month of August, 2020, as requested by the Ministry of Health & Family Welfare with an aim to breaking the chain of infection / transmission of the Coronavirus in rural areas through positive behavioural changes.

19. Hon'ble Union Minister of Panchayati Raj interacted with awardees under different categories of annual National Panchayat Awards and conferred the awards virtually on 7th August 2020 through video conference/ webinar. An information film on National Panchayat Awards by TISPRI-NPRD&PR specially produced by Media division for the occasion was shown. The latest issue of quarterly magazine ñGramoday Sankalpò was also released by the Hon'ble Union Minister of Panchayati Raj on this occasion. Honóble Ministerós address delivered on this occasion was live-webcast and widely publicized through social media interventions.

20. Gram Panchayats were requested vide bulk-SMS dated 13th August, 2020 to ensure hoisting the National Flag after 9 AM on Independence Dayï 2020, reciting of the National Anthem, inviting COVID-19 warriors and persons cured from COVID-19, avoiding large congregations, maintaining social distancing and following other preventive measures in view of COVID-19 pandemic, and also to take pledge on Independence Day for Freedom from Pandemic.

*****

पंचायती राज मंत्रालय

अगस्त, 2020 हेतु मासिक सारांश

संविधान के 73 वें संशोधन की हिमायत, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) जिम्मेदार है। एमओपीआर की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के अधिकारियों के प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्य को समझने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्न तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग निधियन के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से आरएलबीज का क्षमता निर्माण, और
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना एवं समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया एवं पक्ष समर्थन के कार्य।

पंचायती राज मंत्रालय की अगस्त, **2020** के महीने की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण आयोजन का सारांश:

1. राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग (**XV-FC**) की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार अबद्ध और बद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पंचायतों को अनुदान हस्तांतरित करने और अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) जमा करने के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई। स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताएंô और व्यय की वस्तुओं जो ‘नकारात्मक सूचीô में हो की अनुमति नहीं दी जाने वाले विभिन्न संभावित कार्य/ गतिविधियों में पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदानों के उपयोग के बारे में राज्यों को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया।

2. आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) द्वारा संचालित "चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदानों का ग्राम पंचायतों पर प्रभाव का मूल्यांकन” अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां पंद्रहवें वित्त आयोग और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर) को उनके अवलोकन के लिए भेज दी गई। अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट सूचना और उपयोग के लिए राज्यों के पंचायती राज विभागों को परिचालित की गई है।

3. यूनिसेफ की सहायता से जल, सफ़ाई और स्वच्छता एवं हाईजिन (डब्ल्यूएएसएच) के सेवा वितरण मानकों के लक्षित परिणामों के लिए **15**वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता के लिए तैयार किया जा रहा है। 11 अगस्त, 2020 को पंचायतों द्वारा डब्ल्यूएएसएच सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्कों (एसएलबीज) के मसौदे और मसौदा अनुबंध दस्तावेजों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

4. अप्रयुक्त एफएफसी / 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग और छह राज्यों में ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) में एमओपीआर को सौंपे गए लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद अनुवर्ती पत्र भेजे गए हैं। **31.8.2020** तक, 'वित्त आयोग के कार्य' के लिए 1686 करोड़ रुपये का व्यय किया गया और अभियान के तहत पंचायती राज मंत्रालय को सौंपी गई कार्य 'ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण' कार्य के लिए का कुल 804 ग्राम पंचायत भवनों निर्माण किया गया है।

5. पंचायतों के वार्षिक खातों के ऑडिट के लिए ऑडिट-ऑनलाइन के कार्यान्वयन पर राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक **21** अगस्त, **2020** को हुई थी। वित्त वर्ष **2020-21** के दौरान, **20%** ग्राम पंचायतों के ऑडिट के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत वर्ष **2020-21** के लिए सीईसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और एनआईआरडी और पीआर को **40** करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

7. महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) **1** सितंबर, **2020** से **30** सितंबर, **2020** तक पूरे देश में "पोशण माह" का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में एमओपीआर और एमओडब्ल्यू और सीडी की संयुक्त परामर्शिका (एडवाइजरी) जारी की गई है।

8. पिछले दो वर्षों के दौरान जन योजना अभियान (पीपीसीज) में शामिल ग्राम पंचायतों और अन्य हितधारकों के संतोषजनक प्रदर्शन से प्रेरित होकर, एक भागीदारीपूर्ण और पारदर्शी कार्य में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के निर्माण की प्रक्रिया में स्थिरता के लिए, वित्त वर्ष **2021-22** के लिए जीपीडीपी की प्रक्रिया को **2** अक्टूबर, **2020** से **31** मार्च, **2021** तक फिर से अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। पीपीसी के सफल शुभारंभ और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

9. **24** अप्रैल, **2020** को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश भर की पंचायतों को लाइव टेलीकास्ट / वेबकास्ट के माध्यम से संबोधित किया और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार **2020** के तहत विजेताओं को इस उम्मीद के साथ बधाई दी कि अन्य लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। देश भर में पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने और उनके विचारों को साझा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, ने 7 अगस्त, 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य पंचायती राज मंत्रियों (ई-पंचायत पुरस्कार **2020** की विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्राप्त) और दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार **2020** के तहत नौ पुरस्कार प्राप्त पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

10. मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार **2020** की विभिन्न श्रेणियों के तहत सभी **306** पुरस्कारों के लिए पट्टिका/प्लेट और प्रमाण पत्र को डाक द्वारा भेज दिया है। ये पुरस्कार कोविड**-19** की रोकथाम के लिए देशव्यापी बंद के कारण व्यक्तिगत रूप से नहीं दिए जा सकते हैं।

11. पंचायतों को प्रोत्साहन की योजना के तहत **47.00** करोड़ रुपये के बीई वर्ष **2020-21** प्रावधान के तहत, लगभग **39.45** करोड़ रुपये का व्यय (लगभग **83.94%**) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पुरस्कार संबंधी गतिविधियों को पुरस्कार राशि जारी करने के लिए किया गया है। इसमें से, अगस्त, 2020 के दौरान 2.48 करोड़ रुपये (लगभग) का व्यय किया गया है।

12. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, एमओपीआर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों   सख्ती से   कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत (   ) पंजीकरण के लिए राज्यों   कर रहा है। वर्ष **2019-20** के लिए 94**%** जीपीज ने अपनी महीने की किताबें बंद कर दी हैं और 91**%** जीपीज ने अपनी साल की किताबें बंद कर दी हैं।

13. **1,58,878** ग्राम पंचायतों में प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस ऑन-बोर्ड किया गया है, जिसमें से **1,03,957** जीपीज ने **2019-20** के लिए **14** वां वित्त आयोग के तहत व्यय के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल (पूर्ववर्ती प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस (पीपीआई)) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है। वर्ष 2020-21 के लिए, 1,23,929 ग्राम पंयायतों ने ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल का उपयोग करके ऑनलाइन लेन-देन किया है।

14. स्वामित्व (एसवीएएमआईटीवीए) योजना 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण पद्धति द्वारा आबादी वाले (आबादी) भूमि के सीमांकन के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इससे गांव में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान रखने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के 'अधिकारों का रिकार्ड' उपलब्ध होगा। इस संबंध में, पंजाब और राजस्थान सरकार द्वारा कोर्स (सीओआरएस) स्थापना स्थलों का चयन किया गया है। इसके अलावा, चयनित गांवों के लिए अक्टूबर महीने में योजनाबद्ध संपत्ति कार्डों के डिजिटल प्रसारण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्यों ने डिजिटल संपत्ति कार्ड बनाने के लिए राज्य पोर्टल को अंतिम रूप दिया है। राज्यों और एसओआई के साथ नियमित बैठकें (वीसीज के माध्यम से) भी आयोजित की गई। इसके अलावा, 3069 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है; जिसमें से सर्वेक्षण के डेटा का डेटा प्रसंस्करण 2403 गांवों के लिए 1690 गांवों के लिए निकासी का काम पूरा हो गया है। राज्यों में विभिन्न आईसी गतिविधियां भी शुरू हुई हैं।

15. इसके अलावा, निचले स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए; मंत्रालय ने एक एप्लिकेशन -ऑडिटऑनलाइन को ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत शुरू किया है। यह इसके

अलावा, पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज/रिकार्ड करता है। इसे राज्यों के लिए ऑडिट ऑनलाइन पर लाइव होने के लिए, राज्यों को पूर्व अपेक्षित ऑडिट प्रवाह, पदानुक्रम डेटा, जोखिम-आधारित श्रेणियां आदि प्रदान करना है। 23 राज्यों से जानकारी मिली है। 11 राज्यों ने 14 वें वित्त आयोग के खातों की लेखा जांच के लिए ऑडिटर्स (1671 ऑडिटर पंजीकृत) और ऑडिट प्लान (6106 जीपी द्वारा) पंजीकृत करना शुरू कर दिया है। 2 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी एप्लिकेशन पर टिप्पणियों को दर्ज किया है।

16. स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी)/एप्लिकेशन रिकॉर्ड और भूमि क्षेत्र और प्रशासनिक इकाइयों की अप-टू-डेट सूची बनाए रखती है। पीएमओ डैशबोर्ड के लिए डीबीटी योजनाओं को एलजीडी के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कदमों के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ दो वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को बहुभाषी तैयार करने और एलजीडी एप्लिकेशन में लंबित विसंगतियों को हल करने के लिए स्थानीय, ग्रामीण एवं शहरी वार्डों को अपडेट करने के लिए भी राज्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।

17. इस वर्ष (**24-4-2020**) राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने पंचायतों में निष्पादित कार्यों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए मोबाइल ऐप के साथ एक एकीकृत पोर्टल (**https://egramswaraj.gov.in**) जारी किया। 21 अगस्त, 2020 को माननीय केन्द्रीय मंत्री, पंचायती राज ने दोनों सदनों के संसद सदस्यों (सांसदों) को पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों की वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए इन एप्लिकेशनों के उपयोग पर प्रकाश डाला।

18. सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण / संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध के अनुसार, अगस्त, **2020** के महीने में विभिन्न आईईसी गतिविधियां की गई थीं।

19. माननीय केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री ने वार्षिक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की और वीडियो कॉन्फ्रेंस / वेबिनार के माध्यम से **7** अगस्त **2020** को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर के लिए मीडिया प्रभाग द्वारा विशेष रूप से निर्मित टीआईएसपीआरआई-एनपीआरडी और पीआर द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों पर एक सूचना फिल्म दिखाई गई। त्रैमासिक पत्रिका "ग्रामोदय संकल्प" का नवीनतम अंक भी इस अवसर पर पंचायती राज के माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा जारी किया गया था। इस अवसर पर माननीय मंत्री का संबोधन लाइव-वेबकास्ट किया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

20. ग्राम पंचायतों को **13** अगस्त, **2020** को बल्क-एसएमएस के माध्यम से अनुरोध किया गया कि स्वतंत्रता दिवस -2020 को सुबह 9 बजे के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रगान का पाठ, कोविड-19 योद्धाओं और कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों को आमंत्रित कर, बड़ी-बड़ी सभाओं से बचना, सामाजिक दूरी को बनाए

रखना, को□वड-19 महामार□ के म□नजर अ□य □नवारक उपाय□ का पालन करना और महामार□ से मु□त के □लए □वतं□ता □दवस पर संक□प लेने को कहा गया।

****